श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय

जोबनेर 303329, जिला जयपुर (राजस्थान)

फोन नं. 01425–254022 (कार्यालय)

e-mail Id : dean.skncoa@sknau.ac.in

क्रमांकः एफ. ( )/सी.एस./ईनिविदा/श्रीकनकृमवि/2025/ 523 दिनांकः 26.06.2025

ई–निविदा सूचना

महाविद्यालय में सिक्योरिटी/चौकीदारी के लिए श्रमिको आपूर्ति हेतु प्रतिष्ठित एवं अनुभवी पंजीकृत सेवा प्रदाता संस्थाओं/फर्मो से ई–निविदा आमंत्रित की जाती है। ई–निविदा प्रपत्र eproc.rajasthan.gov.in,spp.rajasthan.gov.in एवं विश्वविद्यालय वेबसाईट www.sknau.ac.in पर देखा एवं डाउनलोड किया जा सकता है। ई निविदा प्रस्ताव दिनांक 14.07.2025 को सांयः 03.30 बजे तक कराने होगे एवं दिनांक 15.07.2025 को सुबह 11.30 बजे निविदा समिति द्वारा खोली जायेगी।

अधिष्ठाता

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. श्रीमान निजी सचिव, माननीय कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर
2. श्रीमान वित नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को प्रस्तुत कर लेख है कि वे स्वयं या उनका प्रतिनिधि निविदा खोलने के समय उपस्थित होने का श्रम करावें।
3. श्रीमान प्रभारी, सिमका, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को प्रेषित कर लेख है कि इस सीमित निविदा को eproc.rajasthan.gov.in, sppp.rajasthan.gov.in एवं विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.sknau.ac.in पर upload करवाना सुनिश्चित कराएँ।
4. श्रीमान संयोजक/सदस्य, निविदा समिति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महा विद्यालय, जोबनेर।
5. श्रीमान आहरण एवं वितरण अधिकारी, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर ।
6. कैशियर, लेखा शाखा, कृषि महाविद्यालय, जोबनेर।
7. नोटिस बोर्ड(नगर पालिका/नया बाजार/जोरपुरा), जोबनेर।
8. मैसर्स...

अधिष्ठाता

सिक्यूरिटी/चौकीदारी कार्य हेतु ई–निविदा सूचना

श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर द्वारा सिक्यूरिटी/चौकीदारी कार्य हेतु वार्षिक दर संविदा हेतु प्रतिष्ठित एवं अनुभवी पंजीकृत सेवा प्रदात्ता संस्थाओं/फर्मो से ई–निविदाएँ निम्न विवरणानुसार आमंत्रित की जाती है:–

क्र. सं.	विवरण	अनुमानित राशि (रू.लाखों में)	बोली प्रतिभूति (Bid Security)	निविदा शुल्क (₹)	निविदा बेचने की तिथि व समय	प्रि बिड मीटिंग की तिथि व समय	निविदा प्रपत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय	निविदा प्रपत्र खोलने की तिथि एवं समय
1.	सिक्यूरिटी/चौकीदारी कार्य	**50.00**	रू.1.0 लाख	1000.00	26.06.2025 से साय 05.00 बजे से	01.07.2025 साय : 3.00 बजे	14.07.2025 साय : 03.30 बजे तक	15.07.2025 सुबह 11:30 बजे

ई–निविदा

सिक्यूरिटी/चौकीदारी कार्य हेतु ई–निविदा सूचना।

ई–निविदा क्रमांक :	क्रमांकः :एफ. ( )/सी.एस./ईनिविदा/श्रीकनकृमवि/2025/523 दिनांक : 26.06.2025
प्रि–बिड दिनांक, समय व स्थान :	01.07.2025 समय साय : 03.00 बजे स्थान श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर
ऑनलाईन बिड प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक एवं समय :	14.07.2025 समय साय : 03.30 बजे तक
निविदा प्रपत्र शुल्क DD/BC:	रू 1000.00 **अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर के पक्ष में देय**
RISL प्रोसेसिंग शुल्कः	रू 500.00 (प्रबन्ध निदेशक, आर.आई.एस.एल. जयपुर के पक्ष में देय) (M.D., RISL JAIPUR)

ई–निविदा प्रपत्र शुल्क एवं आर.आई.एस.एल. प्रोसेसिंग फीस के डी.डी./बैंकर चैक उपर्युक्त नाम से अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर के कार्यालय में दिनांक 14.07.2025 समय साय : 03.30 बजे तक भौतिक रूप से (Physically) प्रस्तुत करने होगें ।

अधिष्ठाता

श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय

जोबनेर 303329, जिला जयपुर (राजस्थान)

फोन नं. 01425–254022 (कार्यालय)

e-mail Id : dean.skncoa@sknau.ac.in

डॉ. एम.आर.चौधरी
अधिष्ठाता

क्रमांक :एफ. ( )/सी.एस./ईनिविदा/श्रीकनकृमवि/2025/523 दिनांक : 26.06.2025

कार्य की अनुमानित लागत – रू 50 लाख

<u>प्रपत्र 'अ' तकनीकी बिड</u>
ऑनलाईन ई–निविदा जमा कराने की अन्तिम तिथि– 14.07.2025
समय साय : 03.30 बजे तक
ई–निविदा प्रपत्र शुल्क – रू 1000.00

<u>सिक्यूरिटी/चौकीदारी कार्य हेतु ई–निविदा सूचना</u>

1. ई–निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम, ...

2. डाक का पता एवं टेलीफोन नं. लेण्डलाईन, मोबाईल व ई–मेल सहित ....

3. कार्यालय का पता, दूरभाष नम्बर, सम्पर्क सूत्र व्यक्ति का नाम एवं मोबाईल नम्बर ....

4. किसको संबोधित किया गया – **अधिष्ठाता श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर** ई–निविदा सूचना संदर्भ क्रमांकः/सी.एस/ई–निविदा/श्रीकनकृमवि/2025/523 दिनांक 26.06.2025

5. बोली प्रतिभूति राशि (Bid Security) रू.1.0 लाख DD द्वारा, ई–निविदा प्रपत्र शुल्क राशि रू 1000.00 का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक **अधिष्ठाता श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर** के पक्ष मे देय, आर.आई.एस.एल.प्रोसेसिंग फीस राशि रू 500/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट /बेकर चैक M.D.,RISL., Jaipur के पक्ष में देय, **अधिष्ठाता श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर में भौतिक रूप से जमा करा दी है एवं वेबसाइट** **<u>http://eproc.rajasthan.gov</u>**, <u>sppp.rajasthan.gov.in</u> **पर अपलोड कर दिया है।**

6. हम **अधिष्ठाता श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय,जोबनेर** द्वारा जारी की गई ई–निविदा सूचना **संख्या** ...523........ **दिनांक** 26.06.2025 में वर्णित शर्तो से तथा संलग्न शीट में दी गई उक्त ई–निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते हैं।

7. ई–निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न **प्रपत्र 'ब'** में दर्शाये गये कार्य संबंधी दरें सभी करों व आनुषंगिक प्रभारो सहित अंकित है।

8. सभी कार्यो के लिए विश्वविद्यालय की विभिन्न इकाईयों की आवश्यकतानुसार आपूर्ति मांग के 24 धंटे में की अवधि में कर दी जाएगी। महाविद्यालय द्वारा आवश्यकतानुसार सेवा इकाई में कमी या वृद्धि की जा सकती है।

9. सिक्यूरिटी/चौकीदारी कार्य हेतु प्रपत्र 'ब' में दी गई दरें एक वर्ष के लिए हैं जिसे आपसी सहमति से 3 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है।

10. ई–निविदा दिनांक 14.07.2025 सांयः 03.30 बजे तक तकनीकी वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov पर upload की जा सकती है।

11. ई–निविदा प्रपत्र के साथ जीएसटी पंजीकरण प्रमाण तथा जीएसटी चुकता प्रमाण पत्र सलग्न है।

12. टर्न ओवर प्रमाण पत्र **(प्रपत्र'स')** संलग्न है।

13. पूर्व में समान प्रवृत्ति के कार्य के लिए किसी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं होने का प्रमाण पत्र **(प्रपत्र'द')** संलग्न है।

14. ई–निविदा प्रपत्र के साथ FORM NO.1. Memorandam of Appeal संलग्न **(प्रपत्र'य')**

15 ई–निविदा प्रपत्र के साथ कर्मचारी भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न है।

16 प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 व नियम, 2006 (PASARA) का लाईसेन्स संलग्न है।

17 अधिष्ठाता श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर को मय डी.डी. सहित कार्यालय मे 14.07.2025 साय : 03.30 बजे तक जमा करवानी होगी।

18 बोलीदाता/संवेदक द्वारा निम्नलिखित पंजीकरण संलगन कर विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत करेगा :

क्र. सं.	विवरण	रजि.सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970				
2.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4.	वस्तु एवं जीएसटी (GST)				
5.	आय कर (पैन नम्बर)				
6.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958 या इण्डिन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट, 1956 के अन्तर्गत				

ई–निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय
जोबनेर 303329, जिला जयपुर (राजस्थान)
फोन नं. 01425–254022 (कार्यालय)
e-mail Id : dean.skn@sknau.ac.inP

डॉ. एम.आर.चौधरी
अधिष्ठाता

क्रमांक :सी.एस. / ईनिविदा / श्रीकनकृम / 2025 / 523 दिनांक :26.06.2025

तकनीकी निविदा प्रपत्र 'अ'

सिक्यूरिटी / चौकीदारी कार्य हेतु ई–निविदा सूचना

परिचय :– श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय भारत एवं राजस्थान सरकार द्वारा वित–पोषित सरकारी संस्था है जिसका उदेश्य कृषि पाठन, खोज व प्रसार का कार्य करना है। महाविद्यालय के छात्रावासों, फर्मो एवं महाविद्यालय परिसर में सिक्यूरिटी / चौकीदारी कार्य सम्पन्न करवाने है। महाविद्यालय की समस्त इकाईयों द्वारा वर्षभर में विभिन्न कार्यो को सम्पादन करवाने हेतु निम्नलिखित चौकीदारी की आवश्यकता पडेगी :

कार्य का नाम	वर्षभर में अनुमानित आवश्यक गार्डो / चौकीदारों की कार्य दिवस संख्या
सिक्यूरिटी / चौकीदारी कार्य	50X365

उपर्युक्त कार्यो हेतु ई–निविदाएँ आमंत्रित की जाती है। ऐसी सेवा प्रदाता संस्थाओं / फर्म / कम्पनी / सोसायटी जिन्हें इस तरह के कार्य करवाने का अनुभव हो, निविदा भर सकते है। ई–निविदा प्रपत्र वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है एवं वेबसाइटwww.sknau.ac.in & sppp.raj.nic.in पर देखा जा सकता है। ई–निविदा आनलाईन इलेक्ट्रोनिक्स फोरमेट में वेबससईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर ही प्रस्तुत की जाएगी। ई–निविदा. प्रपत्र शुल्क राशि : रू.1000.00,RISL प्रोसेसिंग फीस राशि रू. 500 / – व बोली प्रतिभूति (Bid security) राशि रू.1.0 लाख । अलग– अलग डी.डी. / बी.सी. दिनांक 14.07.2025 समय साय : 03.30 बजे तक अधिष्ठाता श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर में जमा करवाना आवश्यक है।

A. आवेदन के लिए वांछित पात्रता

1. निविदादाता सेवा प्रदाता फर्म/कम्पनी/सोसाइटी का विगत तीन वर्षो का औसत वार्षिक टर्न ऑवर रू 50.00 लाख हो। इस हेतु वांछित प्रामाणिक दस्तावेज GST PAN Card No.,/GST Clearance certificate आदि अनिवार्य रूप से संलग्न करे।
2. सेवा प्रदाता फर्म का राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत पंजीकरण होना वांछित है। पंजीकरण संख्या व उसका प्रमाण पत्र संलग्न करना जरूरी है (कम से कम 50 चौकीदार प्रतिदिन ठेके पर उपलब्ध कराने का होना आवश्यक है) ।
3. फर्म/कम्पनी द्वारा न्यूनतम एक सरकारी विभाग/उपक्रम में इस तरह का कार्यानुभव विगत 3 वर्षों का होना अनिवार्य है। संतोषजनक सेवा का प्रमाण पत्र संस्थान प्रमुख द्वारा जारी किया हुआ संलग्न करना अनिवार्य है।
4. आवेदक को पंजीकृत कार्यालय/शाखा का पूर्ण पते, दूरभाष नम्बर, फैक्स नम्बर सहित होना अनिवार्य है।
5. सेवा प्रदाता का राजस्थान में पंजीकृत कार्यालय होना अनिवार्य है।
6. सेवा प्रदाता को जीएसटी हेतु पंजीकृत होना अनिवार्य है। जिसका प्रमाण पत्र संलग्न करें।
7. सेवा प्रदाता को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 योजनान्तर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य है।
8. राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958 या इण्डिन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य है। पंजीकरण संख्या व उसका प्रमाण पत्र संलग्न करना जरूरी है।
9. **प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 व नियम, 2006 (PASARA)** का **लाईसेन्स संलग्न करना जरूरी है।**

B. **आवेदन की विधि तथा बोली प्रतिभूति (Bid Security) जमा कराना**

बोली प्रतिभूति राशि (Bid Security) राशि रू. 1.0 लाख, ई–निविदा प्रपत्र शुल्क की राशि 1000.00 का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक **अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर** के पक्ष में देय एवं प्रोसेसिंग फीस राशि रू. 500/– का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक M.D., RISL, Jaipur के पक्ष मे देय भौतिक रूप (Physically) से **अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर के कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया है।**

C. कार्यों का विवरण एवं निविदा की शर्ते :

1. सिक्योरिटी गार्डस या चौकीदार से महाविद्यालय के दोनों मुख्य दरवाजों, अतिथि गृह एवं छात्रावासों एवं आवश्यक होने पर अन्य भवनों में चौकीदारी या सिक्योरिटी गार्डस के रूप में कार्य करवाया जायेगा।
2. सिक्योरिटी गार्डस या चौकीदार के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति की उम्र 18 से 55 वर्ष के बीच शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं मजबूत होने चाहिए।
3. छात्रावासों में चौकीदारी या सिक्योरिटी गार्डस के रूप में कार्य करने वाले चौकीदारों को निर्धारित वर्दी में होना आवश्यक है।
4. महिला छात्रावासों में चौकीदार या सिक्योरिटी गार्डस के रूप में महिला होना आवश्यक है एवं महिला चौकीदार या सिक्योरिटी गार्डस भी निर्धारित वर्दी में ही होनी चाहिए।

5. सिक्योरिटी गार्डस या चौकीदार के वर्दी में ना पाये जाने पर 100 रूपये प्रति दिन की दर से भुगतान काटा जायेगा, एंव 3 बार चेतावनी के उपरान्त भी वर्दी में नहीं पाये जाने पर उसे कार्य मुक्त कर दिया जायेगा।
6. महाविद्यालय के दरवाजों व छात्रावासों में चौकीदारी या सिक्योरिटी गार्डस के रूप में कार्य करने वाले चौकीदारों को पढना व लिखना आना जरूरी है।
7. चौकीदारी या सिक्योरिटी गार्डस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति/महिला शारीरिक रूप से स्वस्थ्य होने चाहिए। शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति/महिला को चौकीदार या सिक्योरिटी गार्डस के रूप में कार्य पर नही रखा जायेगा।
8. रात्रि में परिसर के अन्दर चौकीदारी करने वाला सिक्योरिटी गार्डस पूरे परिसर में घूम–घूम कर पूर्ण सर्तकता से पूरे परिसर में सभी जगहों की चौकीदारी करेगा।
9. चौकीदारी या सिक्योरिटी गार्डस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति की पारिश्रमिक ठेकेदार के द्वारा की जायेगी व व्यक्ति को सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम दर पर भुगतान नही किया जायेगा।
10. चौकीदारी या सिक्योरिटी गार्डस रूप में कार्य करने वाले श्रमिक को ठेकेदार द्वारा हर माह. की 7 तारीख तक भुगतान किया जायेगा चाहे संस्था द्वारा प्रशासनिक कारणों से ठेकेदार को भुगतान देरी से ही क्यो ना हो।
11. चौकीदारी या सिक्योरिटी गार्डस रूप में कार्य करने वाले श्रमिक को कार्य पर निर्धारित समय से 10 मिनिट पहले ही पहुँचना होगा।
12. चौकीदारी या सिक्योरिटी गार्डस रूप में कार्य करने वाले श्रमिक यदि कार्य के दोरान सोते हुए पाये जाने पर या कार्यस्थल पर अनुपस्थित पाये जाने पर भुगतान काटा जायेगा।
13. चौकीदारी या सिक्योरिटी गार्डस रूप में कार्य करने वाले श्रमिक यदि कार्यस्थल पर अनुपस्थित पाया जाता है तो ठेकेदार से पैनेल्टी के रूप में 500 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से काटा जायेगा।
14. ठेकेदार द्वारा चौकीदारी या सिक्योरिटी गार्डस रूप में कार्य करने वाले चौकीदारों का मासिक डयूटी चार्ट मय मोबाइल नम्बर मुख्य छात्रावास अधिकारी, अधिष्ठाता कार्यालय में देना होगा।
15. चौकीदारी या सिक्योरिटी गार्डस रूप में कार्य करने वाले श्रमिक द्वारा अवकाश पर जाने की सूचना दो पूर्व अपने अधिकारी/अधिष्ठाता को देनी होगी व साथ ही अवकाश की सूचना ठेकेदार को भी देनी होगी।
16. चौकीदारी या सिक्योरिटी गार्डस अवकाश पर जाने पर ठेकेदार द्वारा लगाये गये नये चौकादारी या सिक्योरिटी गार्डस के रूप में काम करने वाले श्रमिक का पूर्ण पता, फोटो पहचान पत्र व मोबाइल नम्बर आदि का विवरण अपने सम्बन्धित अधिकारी एवं अधिष्ठाता कार्यालय में देना होगा।
17. चौकीदारी या सिक्योरिटी गार्डस के रूप में कार्य करने वाले श्रमिक के द्वारा परिसर में मघपान या धुम्रपान आदि का सेवन वर्जित है। मघपान या धुम्रपान आदि करते पाये जाने पर महाविद्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
18. किसी प्राकृतिक कारण या आकस्मिक अवकाश घोषित होने पर अगर कुल उपलब्ध करवाये जाने वाले चौकीदारों / सेक्योरिटी गार्डो की मांग में जिस दिन बदलाव की

आवश्यकता होगी, उस दिन रात्री 9.00 बजे तक ठेकेदार को इकाई प्रभारी या प्रतिनिधि द्वारा सूचित कार दिया जायेगा । उसी के अनुसार श्रमिक उपलब्ध करवाने होंगे ।

19. चौकीदारी या सिक्योरिटी गार्डस रूप में कार्य करने वाले चौकीदारों का पूर्ण पता, फोटो पहचान पत्र व मोबाइल नम्बर आदि का विवरण अपने सम्बन्धित अधिकारी एवं अधिष्ठाता कार्यालय में देना होगा।
20. चौकीदारी या सिक्योरिटी गार्डस रूप में कार्य करने वाले श्रमिक संस्था में किसी प्रकार की हानी पहुचाता है तो उसका उतरदायित्व स्वंय ठेकेदार का होगा व नुकसान की वसुली का पूर्ण अधिकार अधिष्ठाता श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय को होगा।
21. **निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार** अधिष्ठाता, **श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर को होगा।**
22. अगर ठेकेदार अपना कार्य निश्चित अवधि के बीच में छोडता है व चौकीदारों को भुगतान नही करता है या कार्य संतोषजनक नही करने पर करने पर उसको इस कार्यालय द्वारा नियमानुसार इस ठेके से हटाया जा सकता है तो उसके द्वारा जमा बोली प्रति भूति एवं कार्य सम्पादन राशि जब्त कर ली जायेगी।
23. ठेकेदार द्वारा संस्थान में चौकीदारों को राजस्थान सरकार के द्वारा वर्तमान में निर्धारित दर से कम पर भुगतान नही होगा। यदि राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम दरें बढाई जाती है तो ठेकेदार चौकीदारों को राजस्थान सरकार के द्वारा परिवर्तित निर्धारित दर के अनुसार अधिक दर का भुगतान करेगा व इसी परिवर्तित निर्धारित दर के अनुसार अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर के कार्यालय से ठेकेदार को चौकीदारों का भुगतान करना होगा। ठेकेदार अपने समस्त खर्च एवं लाभांश को मध्यनजर रखते हुए निविदा में चौकीदार / सेक्योरिटी गार्ड्स को उपलब्ध करवाने हेतु अपनी निर्धारित दरें दें।
24. **सेवा उपभोग करने वाले संस्थान द्वारा ठेकेदार के चौकीदारी बिलों के भुगतान में अगर किसी कारणवश देरी होती है तो भी चौकीदारों को समय पर भुगतान की समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की अपनी होगी। ठेकेदार द्वारा चौकीदारों को प्रत्येक माह की 7 तारीख तक भुगतान करना आवश्यक होगा। ठेके के अधीन कार्यरत चौकीदारों का भुगतान बैंक में ट्रांसफर करना होगा। इस बिन्दु को विशेष रूप से ध्यान में रख कर निविदा भरें।**
25. **चालू माह के श्रमिक बिलों के साथ गत माह के बिलों के भुगतान की EPF/ESI चालान की छायाप्रति व श्रमिक भुगतान की Bank Transfer Sheet/NEFT/ RTGS की संग्लन करना भी सुनिश्चित करना होगा।**
26. चौकीदारों को प्रत्येक माह के भुगतान की लिखित सूचना हस्ताक्षर सहित संस्थान को देनी होगी। उसके पश्चात् ही आगामी माह के बिल का भुगतान देय होगा।
27. ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करवाये गये श्रमिक द्वारा संस्था में किसी भी प्रकार की हानि पहुॅचाता है तो उसका उत्तरदायित्व स्वयं ठेकेदार का होगा, नुकसान की वसूली का पूर्ण अधिकार अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर को ठेकेदार से होगा।
28. चैकीदारों को सिक्यूरिटी/चौकीदारी कार्य हेतु उपलब्ध करवाने बाबत इस कार्यालय द्वारा अग्रिम राशि देय नही होगी। कार्य की आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए चौकीदारों की उपलब्धता देय ठेके की अवधि RTPPR 2012, RTPPR 2013 एवं GF&AR में उल्लेखित प्रावधानुसार घटाई या बढाई जा सकेगी।

29. महाविद्यालय द्वारा फर्म को किसी भी प्रकार का अग्रिम देय नही होगा। इकाई प्रभारी श्रमिक से कोई भी कार्य करवा सकता है।
30. ठेकेदार द्वारा चौकीदारों की उपलब्धता मांग के अनुरूप नही करने एवं अन्य विवाद की स्थिति में 7 दिन के नोटिस पर ठेकेदार का अनुबंध निरस्त किया जा सकता है तथा ऐसी स्थिति में उसकी समस्त अमानत राशि जब्त करने व अन्य सफल निविदाओं में से जिसकी दर न्यूनतम एवं उचित होगी, उसे ठेका देने का अधिकार , अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर हो होगा।
31. अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर न्यूनतम दरों पर ठेकेदार द्वारा श्रमिक उपलब्ध करवाने पर भी निविदा छोडने के लिए बाध्य नही होगा।
32. न्यूनतम दर के साथ निविदा की दरों की व्यवहारिकता उसके पूर्व में किये गये कार्यो का अनुभव और उसके पंजीयन की प्रमाणिकता आदि को भी ध्यान में रखा जावेगा।
33. दो या दो से अधिक निविदादाताओं के द्वारा दी गई कार्य दरों में अगर समानता होती है तो अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर द्वारा किया गया निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा।
34. यदिं निविदादाता द्वारा समय पर श्रमिक उपलब्ध नही कराये गये तो कार्य की आवश्यकता को देखते हुए सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी उस कार्य को अपने स्तर पर ठेकेदार की दर से दो गुणा तक श्रमिक लगा कर पूर्ण करा लेंगें जिसका भुगतान निविदादाता द्वारा जमा अमानत राशि में से किया जायेगा तथा उतनी ही राशि महाविद्यालय उसकी अमानत राशि में से पैनेल्टी के रूप में काटेगा। समय पर चौकीदार उपलब्ध न कराने व ई–निविदा शर्तो को न मानने पर निविदादाता को भविष्य के लिए ब्लेक लिस्टेड कर दिया जायेगा।
35. निविदादाता या उसके द्वारा मनोनीत व्यक्ति को कार्यालय समय में महाविद्यालय में उपस्थित रहना आवश्यक होगा।
36. निविदादाता को यथासंभव पूर्व में ही कार्य हेतु दिन व समय बता दिया जायेगा, फिर भी दिन व समय प्रकृति पर निर्भर करेगा जिसके लिए निविदादाता को तुरंत चौकीदारों की व्यवस्था करनी होगी। निविदादाता द्वारा समय पर कार्य नही किये जाने की स्थिति में जो भी हानि होगी व निविदादाता को वहन करनी होगी । निविदादाता यदि सिक्यूरिटी/चौकीदारी कार्यो की महत्वता एवं गुववत्तानुसार कार्य करने में असमर्थ रहता है या कार्य अधूरा छोडता है तो महाविद्यालय उन शेष कार्यो को अपनी जिम्मेदारी से पूर्ण करायेगें जिसका भुगतान निविदादाता द्वारा जमा अमानत राशि में से किया जायेगा। इस भुगतान की राशि पुनः सात दिनों के अन्दर जमा करानी होगी इस प्रकार की प्रवृति की यदि तीन बार पुनरावृर्ति होती है तो अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर को ई–निविदा निरस्त करने का अधिकार होगा एवं निविदादाता की अमानत राशि भी जब्त करली जायेगी।
37. अलग–अलग कार्यों के लिए अलग–अलग फर्मों के न्यूनतम दर प्राप्त होने पर निविदा का विभाजन नहीं किया जायेगा।

38. महाविद्यालय द्वारा निर्धारित दर (जो निविदा फार्मो में दर्शाई गई है) से कम प्रस्तुत की गई दरों को स्वीकार नही किया जावेगा।

39. न्यूनतम मजदुरी दर राजस्थान सरकार(श्रमविभाग)द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ. 5(6)न्यू.म./श्रम/2000/पार्ट/7182 जयपुर दिनांक 06.03.2019 के अनुसार लागु होगी।

40. राजस्थान सरकार (वित्त विभाग) द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ.02(1)वित्त/एसपीएफसी/2017 जयपुर दिनांक 30.04.2018 के संख्या 01/2018 के अन्तर्गत निम्न शर्तों भी जोड़ी जा रही है :–

I. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 मार्च, 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।

II. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ सम्बन्धित उपापन संस्था को प्रस्तुत की जायेगी।

III. यदि उपापन संस्था को अंशकालिक (Part-Time) मानव संसाधन की सेवाओं की 4 घण्टे से कम अवधि के लिये आवश्यकता हो तो ऐसी अंशकालिक सेवा का बोली दस्तावेजों में स्पष्ट उल्लेख करते हुए सम्बन्धित उपापन संस्था द्वारा बिड सम्बन्धी कारवाई की जावेगी। ऐसे अंशकालिक मानव संसाधन जिनकी सेवाऐं 4 घण्टे से कम अवधि के लिए ली जावेगी उन्हें सेवाओं के विरूद्ध न्यूनतम मजदूरी की गणना श्रम विभाग द्वारा समय–समय पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की 50 प्रतिशत राशि पर की जावेगी।

IV. संवेदक (निविदादाता) द्वारा नियोजित चौकीदारों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। सम्बन्धित संवेदक द्वारा नियोजित चौकीदारों के बैंक खातें में जमा कराई गई राशि का विवरण सम्बन्धित उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। चौकीदारों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि का विवरण बाबत उपापन संस्था की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।

V. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार चौकीदारों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।

VI. चौकीदारों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय–समय पर वृद्धि होने पर उपापन संस्था द्वारा संवेदक को बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।

VII. संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त चौकीदारों को नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित चौकीदारों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे चौकीदारों के ई.पी.एफ. और ई.एस.आई के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की

पुष्टि में सम्बन्धित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।

VIII. संवेदक द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर Display Boards लगाये जायेगें, जिन पर संवेदक का नाम, संविदा अवधि, कार्य की प्रगति, चौकीदारों हेतु Helpline नम्बर एवं संवेदक द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने की शिकायत करने सम्बन्धी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा।

IX. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त चौकीदारों का नियमानुसार ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा।

X. संवेदक द्वारा चौकीदारों को देय राशि पर वस्तु एवं जीएसटी (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं जीएसटी (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं जीएसटी (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं जीएसटी (GST) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं जीएसटी (GST) के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

XI. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा–निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये संवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।

XII. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये चौकीदारों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिये उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।

XIII. नियोजित चौकीदारों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित चौकीदारों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

XIV. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के सम्बन्ध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई. करवाने/सामूहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिये उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

XV. यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है, तो उपापन संस्था इस संबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को Debar कराने की कार्यवाही करेगी।

XVI. यदि संस्था द्वारा कार्य की विशिष्ट प्रकृति के मद्देनजर किसी निर्धारित प्रतिशत में कोई अतिरिक्त राशि मानव संसाधन हेतु स्वीकृत करा रखी हो, तो उक्त अतिरिक्त राशि को न्यूनतम मजदूरी में सम्मिलित नहीं करते हुए, इसे पृथक से भुगतान हेतु अंकित किया जावेगा। उदाहरण के लिए यदि उपापन संस्था द्वारा अतिरिक्त राशि के रूप में न्यूनतम मजदूरी का 10 प्रतिशत की सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर रखी है, तो न्यूनतम मजदूरी के ऊपर 10 प्रतिशत का पृथक से भुगतान संवेदक को किया जायेगा। उक्तानुसार विशिष्ट कार्य करने वाले सम्बन्धित श्रमिक को 10 प्रतिशत (न्यूनतम मजदूरी का) अतिरिक्त भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।

XVII. उपापन संस्था द्वारा संवेदक को कार्य आदेश जारी करने के पश्चात् कार्यादेश की प्रति श्रम विभाग को सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारी एवं श्रम विभाग मुख्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जावेगी।

41. उपरोक्त शर्तों का अध्ययन कर स्वीकार करने के रूप में निविदादाता ने निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर एवं मोहर अंकित कर दी है।

दिंनाक-------------------
स्थान--------------------

निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर मय
स्पष्ट नाम मय फर्म की रबड़ मोहर

I. **निविदा का खोला जाना**

दिनांक 14.07.2025 को साय : 03.30 बजे तक Upload निविदा प्रपत्रों को दिनांक 15.07.2025 सुबह 11.30 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोला जाएगा।

II. **कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि**

सफल निविदादाता को अनुमानित लागत के 5 प्रतिशत के बराबर कार्य सम्पादन प्रतिभूति को **(Performance Security)** जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंक पे–आर्डर अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय जोबनेर के नाम जोबनेर में भुगतान योग्य हो, के माध्यम से जमा करानी होगी। यह कार्य सम्पादन प्रतिभूति निविदादाता द्वारा कार्यादेश में वांछित अवधि समाप्त होने पर तथा समस्त कार्य संतोषजनक पूर्ण करने पर ही लौटाई जा सकेगी अन्यथा कि स्थिति में यह पूर्ण रूप से/अंशतः जब्त की जा सकेगी।

III. **उत्तरदायित्व**

सेवा सम्पादन के दौरान मैन पॉवर की किसी प्रकार की दुर्घटना या भारत/राजस्थान में प्रचलित किसी कानून/नियम/अधिनियम/उपनियम के उल्लंघन की स्थिति में सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। सेवा हेतु रखे गए श्रमिक सेवा ईकाई की समस्त प्रकार की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। **सफल निविदादाता को जिम्मेदार अधिकारी/व्यक्ति का नाम, पता व मोबाइल नम्बर उपलब्ध करवाना होगा ताकि कार्य सुचारू रूप से हो सके।**

IV. **ई–निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने की शक्तियाँ**

निविदा को बिना कारण बताए पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से अस्वीकार करने के सम्पूर्ण अधिकार अधिष्ठाता, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर को होगें। यह अनिवार्य नही की असफल निविदादाता के साथ पत्र व्यवहार करें या उनके पत्र व्यवहार का जवाब दिया जाएँ। एक बार ई–निविदा प्रस्तुत कर देने के पश्चात् वापस लेने का अधिकार किसी निविदादाता को नही होगा। पर्याप्त बिड् सिक्यूरिटी,RSIL,फीस एवं निविदा शुल्क के अभाव में ई–निविदा फार्म रद्द कर दिए जाएगें। ई–निविदा में प्राप्त दरें बातचीत (Negotiation)/बिना बातचीत स्वीकार करने के पूर्ण अधिकार निविदा समिति एवं उपापन अधिकारी को होगें जो निविदादाता के लिए बाध्यकारी होगें।

V. **अनुमानित राशि का आंकलन**

प्रपत्र "अ" में वर्णित कार्य संख्या अनुमानित है, जिसमें मौके पर परिवर्तन संभावित है। उक्तानुसार कार्य की अनुमानित लागत राशि 50.00 लाख है। महाविद्यालय द्वारा आयकर स्त्रोत पर काटकर ही राशि का भुगतान किया जाएगा।

VI. **दर संविदा अनुबंध की अवधि**

दर संविदा की अवधि एक वर्ष के लिए होगी तथा जो परस्पर सहमति से नियमानुसार बढाई जा सकती है।

VII. **अनुबन्ध – पत्र**

सफल निविदादाता को निर्धारित प्रारूप के अनुसार नियमानुसार निर्धारित राशि रू. 500/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर एक अनुबंध पत्र सम्पादित करना होगा जिसका व्यय निविदादाता को वहन करना होगा। दोनो पक्षो को उक्त अनुबंध पत्र की

प्रत्येक शर्त का अक्षरशः पालन करना होगा। यदि निविदादाता उक्त शर्तों का उल्लघंन करता है तो अनुबंध पत्र किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दिया जाएगा, तथा उक्त कार्य अनुबंधकर्त्ता की Risk and Cost पर अन्य व्यक्ति से करा लिया जाएगा। यदि करार के पश्चात् चाही गई मैनपावर में किसी प्रकार की बढ़ोतरी/कमी होती है तो आनुपातिक आधार पर पैकर्स सेवाएँ बढाई/घटाई जा सकती है।

VIII. **भुगतान की शर्तें**

बिल का भुगतान मासिक आधार पर किया जाएगा। सफल निविदादाता सेवा प्रदाता को प्रतिमाह संबंधित इकाई प्रभारी अधिकारी से सेवा संतोषजनक होने का प्रमाणीकरण करवाकर प्रत्येक माह की 5 तारीख तक बिल अधिष्ठाता कार्यालय पर प्रस्तुत करने होगें जिसके आधार पर भुगतान किया जा सकेगा। **उक्त सेवाओं के बदले महाविद्यालय द्वारा सेवाओं के संतोषजनक पाये जाने पर मासिक आधार पर भुगतान समेकित रूप से निविदादाता सेवा प्रदाता को RTGS/NEFT/ चैक द्वारा किया जाएगा।**

IX. **भुगतान की जिम्मेदारी**

निविदादाता (सेवा प्रदात्ता) को मासिक आधार पर सेवाओं के संतोषजनक होने पर सेवा पद्धात्ता फर्म को भुगतान करेगा। अन्य किसी भी तरह की जिम्मेदारी से मुक्त होगा। वर्णित कार्यो के किए जाने वाले भुगतान तथा अन्य किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से मुक्त होगा।

X. **मध्यस्थ**

निविदा की किसी भी शर्त/शर्तों के संबंध में अधिष्ठाता श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय जोबनेर का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।

XI. **कार्यादेश का निरस्तीकरण**

अधिष्ठाता को किसी भी कार्यादेश को निरस्तीकरण पेटे बिना कोई भुगतान किए पूर्णतः/आंशिक रूप से निरस्तीकरण के सम्पूर्ण अधिकार होगें लेकिन यह मात्र असामान्य/विशेष परिस्थितियों में ही हो सकेगा।

XII. **निविदा शर्तों की स्वीकारोक्ति**

निविदादाता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह निविदा भरते समय निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने लघु हस्ताक्षर करेगा जिससे यह माना जाएगा कि उसने प्रत्येक शर्त पढ़/समझ ली है तथा उसे/उन्हें पूर्ण रूप से स्वीकार्य है। अहस्ताक्षरित निविदाएँ निरस्त की जा सकती है। भारत/राजस्थान सरकार द्वारा लागू किए गए किसी भी कर/लेवी की वसूली सफल निविदादाता के बिल से कटौती महाविद्यालय द्वारा की जाएगी।

XIII. ई–निविदा की अन्य शर्ते सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के भाग–II के नियम 68 ई–निविदा के लिए ई–निविदा एवं संविदा की शर्ते एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के अनुसार लागू होंगी।

XIV. किसी राजकीय विभाग अथवा उपक्रम द्वारा ब्लेक लिस्टेड फर्म ई–निविदा प्रस्तुत करने के लिए अपात्र मानी जाएगी। यदि ऐसी फर्म इस तथ्य को छिपाते हुए अपनी

ई–निविदा प्रस्तुत करती है तो उस फर्म की कार्य सम्पांदन प्रतिभूति (Performance Security) जब्त करते हुए आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया जाएगा।

XV. **वित्तीय बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार** – बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर, सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी, अर्थात् :–

(क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और कुल मूल्य में सुधार किया जायेगा, जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गयी है ऐसे मामले में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा।

(ख) यदि योग के घटकों को जोड़ने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक अभिभावी होंगे और योग में सुधार किया जायेगा और यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तब तक अंभिभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो, ऐसे मामले में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यधीन रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम अभिभावी होगी।

XVI. **सत्यनिष्ठा संहिता** – उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति, –

(क) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्विक फायदे का कोई प्रस्ताव नहीं करेगा।

(ख) सूचना का ऐसा दुर्व्यपदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो।

(ग) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कूट मूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगा।

(घ) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरूपयोग नहीं करेगा।

(ड) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुंचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीडन में लिप्त नहीं होगा।

(च) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखापरीक्षा में बाधा नहीं डालेगा।

(छ) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा।

(ज) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियमभंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा।

XVII. हित का विरोध –

(1) किसी उपापन संस्था या उसके कार्मिकों और बोली लगाने वालों के लिए हित का विरोध ऐसी स्थिति को माना गया है जिसमें एक पक्षकार के ऐसे हित हों जो उस पक्षकार के पदीय कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों, संविदागत बाध्यताओं के पालन, या लागू विधियों और विनियमों के अनुपालन को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकता हो।

(2) उन स्थितियों में, जिनमें उपापन संस्था या उसके कार्मिक हितों के विरोध में समझे जायेंगे, निम्नलिखित सम्मिलित है, किन्तु उन तक सीमित नहीं है :–

(क) हित का विरोध तब घटित होता है जब उपापन संस्था के किसी कार्मिक का निजी हित, जैसे कि बाह्य वृतिक या अन्य संबंध या व्यक्तिगत वित्तीय आस्तियां, उपापन पदाधिकारी के रूप में उसके वृतिक कृत्यों या बाध्यताओं का समुचित पालन करने में हस्तक्षेप करते हों या हस्तक्षेप करते हुए प्रतीत होते हों।

(ख) उपापन परिवेश में उपापन संस्था के किसी कार्मिक का ऐसा निजी हित, जैसे कि उपापन संस्था की सेवा में रहते हुए व्यक्तिगत विनिधान और आस्तियां, राजनैतिक या अन्य बाह्य क्रिया कलाप ओर सम्बन्धताएं, उपापन संस्था की सेवा से सेवानिवृत्ति के पश्चात् नियोजन या उपहार की प्राप्ति, जो उसे बाध्यता की स्थिति में रखता हो, हित में विरोध उत्पन्न कर सकेगा।

(ग) हित के विरोध में उपापन संस्था की मानवीय, वित्तीय और भौतिक आस्तियों सहित आस्तियों का उपयोग, या व्यक्तिगत फायदे के लिए उपापन संस्था के कार्यालय या पदीय कृत्यों से अर्जित ज्ञान का उपयोग, या किसी ऐसे व्यक्ति की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालना सम्मिलित है जिसका उपापन संस्था का कार्मिक पक्ष नहीं लेता है।

(घ) हित का विरोध ऐसी स्थितियों में भी उत्पन्न हो सकता है जंहा उपापन संस्था का कार्मिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कुटुम्ब, मित्रों या किसी ऐसे व्यक्ति जिसका वह पक्ष लेता है, सहित किसी तृतीय पक्षकार को उपापन संस्था के कार्मिकों की कार्रवाईयों या विनिश्चय से फायदा पहुंचाते हुए देखा जाता है या उन्हें उसमें सम्मिलित करता है।

(3) कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं है यदि,–

(क) उनके समान नियंत्रक भागीदार है।

(ख) वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है।

(ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है।

(घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो।

(ङ) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं

लेता है।

या

(च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषयवस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली प्ररूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाईन, विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार किये हैं, के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में न तो संबद्ध है और नहीं संबद्ध रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

XVIII. उपापन प्रक्रिया के दौरान शिकायतों का निस्तारण – प्रथम अपील प्राधिकारी माननीय कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) एवं द्वितीय अपील प्राधिकारी प्रमुख शासन सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर अथवा विश्वविद्यालय या राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित प्राधिकारी होगे।

1 **अपीलः–** (1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 40 के अध्यधीन रहते हुए, यदि कोई बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था का कोई निर्णय, कार्यवाही या लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी निर्देशों या मार्गदर्शन के उपबंधों के उल्लघंन में है तो वह उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को,जिसे इस प्रयोजन के लिए पदाभिहित किया जाये, विनिर्दिष्ट आधार, जिस पर या जिन पर वह व्यथित है, स्पष्ट रूप से देते हुए, ऐसे विनिश्चय या कार्यवाही या, यथास्थिति, लोप की तारीख से दस दिन की अवधि या ऐसी अन्य अवधि, जो पूर्व–अर्हता दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्टीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्द की जाये, के भीतर संलग्न प्रारूप **(प्रपत्र–'य')** में अपील दाखिल कर सकेगा।

परन्तु बोली लगााने वाले के सफल होने की घोषणा के पश्चात् अपील केवल उस बोली लगााने वाले द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिससे उपापन कार्यवाहियों में भाग लिया है।
परन्तु यह और कि ऐसी दशा में, जहाँ उपापन संस्था वित्तीय बोली को खोलने से पूर्व तकनीकी बोली का मूल्यांकन करती है वहाँ वित्तीय बोली के मामले से संबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसकी तकनीकी बोली स्वीकार्य होने वाली पायी जाती है।

(2) उप–धारा (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप–धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व–अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धों का पालन किया है या नहीं, और तद्नुसार आदेश पारित करेगा जो उप–धारा (5) के अधीन पारित आदेश के अध्यधीन रहते हुए अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

(3) अधिकारी, जिसके समक्ष उप–धारा (1) के अधीन अपील दाखिल की गई है, अपील पर यथा सम्भव शीघ्र विचार करेगा और अपील दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर इसे निपटाने का प्रयास करेगा।

(4) यदि उप–धारा (1) के अधीन पदाभिहित अधिकरी उप–धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त उप–धारा के अधीन दाखिल अपील को निपटाने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या उपापन संस्था उप–धारा (2) के अधीन पारित आदेश से व्यथित है तो बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या, यथास्थिति, उपापन संस्था, उप–धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से या, यथास्थिति, उप–धारा (2) के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिवस के भीतर राज्य सरकार द्वारा इस निमित पदाभिहित किसी अधिकरी या प्राधिकारी को द्वितीय अपील दाखिल कर सकेगा।

(5) उप–धारा (4) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप–धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी या प्राधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि क्या उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धन्तों के उपबंधों और पूर्व–अर्हता के दस्तावेजों , बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धनों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो अंतिम होगा और अपील के पक्षकरों पर बाध्यकारी होगा।

(6) अधिकारी या प्राधिकारी जिसके समक्ष अपील उप–धारा (4) के अधीन दाखिल की गई है, यथा–सम्भव शीघ्र अपील पर विचार करेगा और अपील के दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर–भीतर इसे निपटाने के लिए प्रयास करेगा।

परन्तु यदि अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप–धारा (4) के अधीन अपील दाखिल की गई है, पूर्वोक्त अवधि के भीतर अपील को निपटाने में असमर्थ रहता है तो वह इसके लिए कारण अभिलिखित करेगा।

(7) अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप–धारा (1) और (4) के अधीन अपील दाखिल की जा सकेगी को, पूर्व–अर्हता के दस्तावेजों , बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों में उपदर्शित किया जाएगा।

(8) उप–धारा (1) और (4) के अधीन प्रात्येक अपील ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से दाखिल होगी और उसके साथ ऐसी फीस होगी जो विहित की जाएँ।

(9) इस धारा के अधीन अपील की सुनवाई के समय संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे प्रक्रिया–नियमों का अनुसरण करेगा जो विहित किए जाएँ।

(10) कोई भी ऐसी सूचना, जो भारत के आवश्यक सुरक्षा हितों के संरक्षण का ह्रास करेगी या जो विधि के प्रवर्तन या उचित प्रतियोगिता में अड़चन डालेगी या बोली लगाने वाले या उपापन संस्था के विधि सम्मत वाणिज्यिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी कार्यवाही में प्रकट नहीं की जाएगी।

1. **अपील का प्ररूप –**

(1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 38 की उप–धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्ररूप **(प्रपत्र –'य')** में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी हैं।

(2) प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरूद्ध अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।

(3) प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिशः या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।

2. **अपील फाइल करने के लिए फीस –**

(1) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पांच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रुपये होगी जो अप्रतिदेय होगी।

(2) फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।

3. **अपील के निपटारे की प्रक्रिया –**

(1) प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।

(2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी,–

(क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा।

(ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।

(3) पक्षकारों की सुनवाई, मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात्, संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।

(4) उप नियम (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।

XIX. यदि वाद उत्पन्न होने कि स्थिति बनती है तो उस स्थिति में न्यायालय क्षेत्र, जयपुर (राजस्थान) होगा।

अधिष्ठाता

मैंने/हमने उपर्युक्त सभी शर्तो का सावधानी पूर्वक अध्ययन कर लिया है एवं समझ लिया है तथा मैं/हम उपर्युक्त सभी शर्तो से प्रतिबन्धित रहूँगा/रहेंगे।

ई–निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

प्रपत्र –'स'

वार्षिक टर्न ओवर प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि फर्म मैसर्स .... का विगत तीन वित्तीय वर्षो का टर्न ओवर निम्नानुसार है। प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रमाण पत्र सत्य व सही है।

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	टर्न ओवर (राशि रू.लाखों में)
1	2021–22	
2	2022–23	
3	2023–24	
	कुल टर्न ओवर	
	औसत वार्षिक टर्न ओवर	

दिनांक :

हस्ताक्षर ई–निविदादाता
एवं सील

अंकेक्षक / सनदी लेखाकार का
नाम मय हस्ताक्षर एवं पंजीकरण संख्या
UBI No. :

प्रपत्र –'द'

ई–निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं, कि हमने प्लेसमेंट कार्य/ सेवा ईकाई की जहां कही भी आपूर्ति की है, उस आपूर्ति में विगत 3 वर्षो में आपूर्तित सेवा इकाईयों के सतोंष प्रद कार्य नहीं करने होने के कारण हमें किसी भी सरकारी विभाग/ उपक्रम/कम्पनी द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।

हम यह भी घोषणा करते है कि हम किसी भी न्यायालय में सेवा प्रदायगी में Defaulter का कोई वाद लम्बित नहीं है तथा इस विषयान्तर्गत हमें किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।

ई–निविदादाता के हस्ताक्षर

प्रपत्र "य"

FORM NO. 1: (See rule 83 of RTPP)

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurensent Act, 2012

Appeal No........................ of ....

Before the .... (First/Second Appeliate Authority)

1. Particulars of appealant :
   - (i) Name of the appeliant
   - (ii) Official Address, if any
   - (iii) Residential address
2. Name and address of the respondent (s) :
   - (i)
   - (ii)
   - (iii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (endorse copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravaction to the provisions of the Act by which the appeliant is aggrieved.
4. If the Appeliant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative.
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal.
6. Ground of appeal

   ....

   ....

   ....

   (Supported by an affidavit)
7. Prayer

   ....

   ....

Place ....

Date ....

....

Appeliant's Signature

श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर

वित्तीय बिड

ई–निविदा खुलने के 90 दिन तक ई–निविदा स्वीकार करने के लिए वैध मानी जावेगी, ई–निविदा में मान्य दरें एक वर्ष तक वैध मानी जावेगी।

प्रपत्र "ब"

सेवाओं के लिए वित्तीय ई–निविदा

मैं/हम ई–निविदा में दर्शाये गये कार्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित प्रपत्र में दरें प्रस्तुत कर रहे है

क्र. सं.	कार्य की प्रकृति	वर्षभर में अनुमानित आवश्यक गार्डो/चौकीदारों की कार्य दिवस संख्याा	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी	सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर	ई.पी.एफ. दर प्रतिशत	ई.एस. आई. दर प्रतिशत	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि			कुल राशि (प्रति श्रमिक) (5+9+10)
							GST %	GST राशि	सर्विस चार्ज	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	सिक्यूरिटी/ चौकीदारी	50X365	285		13%	3.25%				

Note:- 1. ESI paid by institute if applicable at Jobner.

2. ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. दर प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों से किया जायेगा।

ई–निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

अति आवश्यक शर्ते :

01. श्रमिकों को भुगतान बैंक खाते के माध्यम किया जायेगा तथा वास्तविक भुगतान की पुष्टि श्रमिक के बैंक खाते के विवरण से भी किया जा सकेगी।
02. श्रमिकों को नियोजित करते समय उसके पी. एफ. खाते का विवरण उपलब्ध करवाना होगा।
03. श्रमिक के ई.एस.आई. में पंजीयन करवाकर प्रथम बिल के साथ संलग्न करना होगा।
04. पी.एफ. की जमा की पुष्टि श्रमिक के पी.एफ विवरण से कभी भी की जा सकेगी, यदि पी. एफ. खाते में राशि कम जमा करवाना पाया गया तो कभी भी वसूली की जा सकेगी।
05. सफल निविदाकर्ता द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. और ई.एस.आई के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में सम्बन्धित चालान की प्रति मूल कार्मिको की सूची जिनके खातों के अन्य राशि जमा की गई है, प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल /

बिलों का भुगतान किया जायेगा, अन्यथा निविदाकर्ता को बिल/बिलों का भुगतान नहीं किया जावेगा जिसका निविदाकर्ता स्वंय जिम्मेदार होगा।

06. सफल तकनीकी निविदादाता फर्मों द्वारा सर्विस चार्ज के रूप में शून्य प्रतिफल अथवा ऐसी राशि जो कि गणना उपरान्त भुगतान योग्य राशि नहीं हो, प्रस्तावित करने पर शून्य प्रतिफल मानते हुए RTPP Act की धारा 2 (xiii) के अन्तर्गत अमान्य होगी।

07. दो या दो से अधिक बोलिदाताओं की समान दर प्राप्त होने पर दर स्वीकृति का निर्णय उपापन समिति द्वारा लिया जा सकेगा। न्यूनतम निविदा दरे एक से अधिक निविदादाताओं की समान प्राप्त होने की स्थिति में उपापन समिति स्वविवेक से परीक्षण कर इस कार्य हेतु पात्र संस्थाऐं, कार्य करने की क्षमता स्थानीय परिस्थितियों एवं कार्य अनुभव रखने वाली फर्म को प्राथमिकता होगी, के आधार पर किसी भी न्यूनतम दरदाता की निविदा स्वीकृति का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगी। इस सम्बन्ध में कोई वाद स्वीकार नहीं होगा न हीं उपापन समिति अन्य निविदादाताओं को इस सम्बन्ध में कोई स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य होगी। जो अन्तिम एवं सभी बोलीदाताओं के लिए बाध्यकारी होगा।

8. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा ।

9. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ संबंधित उपापन संस्था को प्रस्तुत की जायेगी ।

10. संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खाता में ही किया जायेगा । सम्बन्धित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खाते में जमा कराई गई राशि का विवरण सम्बन्धित उपायन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत उपापन संस्था की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा ।

11. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा ।

12. निविदादाता को 50 रूपये के स्टाम्प पर शपथपत्र देना होगा की फर्म ब्लैक लिस्ट नहीं है ।

1. छात्रावासों में 08 घण्टे (3 पारी में) चौकीदारी कार्य

क्र.सं.	चौकीदारी का कार्य	न्यूनतम मजदूरी (प्रति पारी 8 घण्टे)
1.	अ. रमन छात्रावास ब. पी.जी. छात्रावास। स. बाबा छात्रावास। द. महिला छात्रावास। य. नया महिला छात्रावास। ल. पाल छात्रावास।	7410 रू प्रतिमाह 7410 रू प्रतिमाह 7410 रू प्रतिमाह 7410 रू प्रतिमाह 7410 रू प्रतिमाह 7410 रू प्रतिमाह

2. महाविद्यालय परिसर में चौकीदारी का कार्य

क्र.सं.	चौकीदारी का कार्य	न्यूनतम मजदूरी (प्रति पारी 8 घण्टे)
1.	परिसर का दक्षिणी गेट (08 घण्टे) 3 पारी में)	7410 रू प्रतिमाह
2.	परिसर का पूर्वी गेट (08 घण्टे) 3 पारी में)	7410 रू प्रतिमाह
3.	अधिष्ठाता निवास (08 घण्टे) 3 पारी में)	7410 रू प्रतिमाह
4.	अतिथि गृह 04 चौकीदार प्रतिदिन (08 घण्टे) 3 पारी में)	7410 रू प्रतिमाह

3. फार्म पर चौकीदारी का कार्य

क्र.सं.	चौकीदारी का कार्य	न्यूनतम मजदूरी (प्रति पारी 8 घण्टे)
1.	अ. सस्य, डेयरी व या फार्म ब. आसलपुर फार्म	7410 रू प्रतिमाह 7410 रू प्रतिमाह

ई–निविदादाता के हस्ताक्षर
तिथि, पूर्ण पता एवं मोबाईल नम्बर

नोटः– 1. निविदादाता द्वारा निर्धारित प्रपत्र (BOQ) मे वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा अन्यथा निविदा मान्य नही होगी।

2. यदि कोई फर्म न्यूनतम वैजिज के उपर कुछ भी सर्विस चार्ज नही दर्शाते है, ऐसी फर्म को Unresponsive माना जोयगा।

मै/हम/यह घोषणा करते है कि यदि मै/हम निविदा में में दर्शाई गई शर्तो एवं नियम का पालन नही करता/ करते है तो हमारी बिड सिक्यूरिटी पर परफॉरमेन्स सिक्यूरिटी को जब्त कर लिया जाये। मैने/हमने निविदा की सभी शर्तो/नियमों को भलीभांति पढ लिया है, समझ लिया है, तथा उनमें मैं/हम पूर्णतया सहमत है।

हस्ताक्षर

पूर्ण पता तथा फर्म की मोहर